आज P.O.M.C. कोर्ट में व्यस्त
होने से
जनरल तथा दी गई गत आदेश
की पालना में दिनांक
को पेश हो 13/7/18

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार 2018

30-7-18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत के
कोर्ट मांकरी में पेश हुई। पार्टी के
कोर्ट में उपस्थित हुए। पार्टी ने अपने
प्रार्थना-पत्र आवश्यक निषेधाज्ञा के
विड्रो करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन
पत्र भरकर पेश किया है, जिसके अंकित
किया है पार्टी लोक अदालत की संतुष्टि के
प्रति हेतु सम्मिलित है। प्रार्थना-पत्र को
विड्रो मान्य किया है। अतः उक्त प्रकरण को
निस्तारण करने हेतु निवेदन किया है।
अतः पार्टी का विड्रो प्रार्थना-पत्र स्वीकार
किया जाता है। विड्रो प्रार्थना-पत्र स्वीकार
किये जाने के फलस्वरूप पार्टी का प्रार्थना
पत्र आवश्यक निषेधाज्ञा खारिज किया
जाता है। प्रकरण के समझौता होकर
नम्बर से कम हो तथा बाद तमामील
प्रतिवाद लेख मंजूर है।

सहायक कलेक्टर